प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उ0प्र0।

Comp. No. दिनांकः जून, 2026

विषयः— पंचायत सचिवालय में स्थापित डेस्कटॉप के माध्यम से पंचायत में कार्यरत कार्मिकों की फेशियल रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः 42/2021/1235/33-3-2021-989/2021 दिनांकः 25 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-21(iv) में पंचायत सहायकों की ऑनलाईन उपस्थिति का प्राविधान है। उक्त के कम में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत कार्मिकों की नियमित एवं समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में मोबाइल आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सटीक और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पूर्व व्यवस्था के साथ-साथ विकल्प के रूप में पंचायत में कार्यरत सभी कार्मिकों को अपनी दैनिक उपस्थिति पंचायत सचिवालय में स्थापित अधिकृत डेस्कटॉप कंप्यूटर के वेबकैम(Webcam) के माध्यम से अपना चेहरा स्कैन करके दर्ज की जा सकती है।

अतः इस नई व्यवस्था के सुचारू एवं शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के अधीन निम्नलिखित बिंदुओं का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें:-

1. **हार्डवेयर की क्रियाशीलताः** समस्त पंचायत सचिवालयों में स्थापित डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा वेबकैम (Webcam) को अगले 03 कार्यदिवसों के भीतर पूर्णतः चालू (Functional) अवस्था में करा लिया जाए।
2. **पर्यवेक्षण एवं समीक्षाः** नई व्यवस्था लागू होने के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी तथा संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से प्रतिदिन डैशबोर्ड पर उपस्थिति की निगरानी करेंगे। बिना किसी पूर्व सूचना/स्वीकृत की स्थिति में अनुपस्थित पाए जाने वाले अथवा फेशियल स्कैन न करने वाले पंचायत में कार्यरत कार्मिकों को उस दिन अनुपस्थित मानते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
3. मोबाईल से उपस्थिति की व्यवस्था यथावत रहेगी। ग्राम सचिवालय में जियोफेन्सड डेस्कटाप से उपस्थिति की व्यवस्था विकल्प के रूप में रहेगी। पंचायत सहायक के पास मोबाइल न होने अथवा अन्य कोई कारण होने पर दोनों में से किसी एक व्यवस्था के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जायेगी।

उक्त फेशियल रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली का जनपद लखनऊ के किन्हीं दो ब्लाक की दो-दो ग्राम पंचायतों में दिनांक 01.07.2026 से 10.07.2026 तक परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात दिनांक 11.07.2026 से उक्त प्रणाली को समस्त जनपदों में लागू (Go-Live) किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
AMIT KUMAR SINGH
Date: 30-06-2026
11:38:45

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक : यथोपरि।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को महोदय के अवलोकनार्थ।
5- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
6- अनुभाग अधिकारी, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

Digitally signed by
SURENDRA NATH SINGH
Date: 30-06-2026
11:52:35

(एस0 एन0 सिंह)
संयुक्त निदेशक(पं0)
पंचायतीराज उ0प्र0।